निर्णय बईजलास श्री सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 25/प्रा0पत्र/15 तारिख दायराः 17.04.2015

उनवान

राज0सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय,झालावाड़

बनाम

01. धुलीचन्द/महेन्द्र कुमार दुकान न0 19/22 दीनदयाल पार्क, बांरा
02. मॉ अन्नपूर्णा रोड़ लाईन्स न्यू लोहा मण्डी –795 मनवानी काम्पलेक्स के पीछे इन्दोर (म0प्र0)452001
03. साई रोड़ लाईन्स,कोपरा गॉव जिला अहमदनगर(महाराष्ट्र)
04. हनीफ हुसैन पुत्र टेग अली शाह, ग्राम हिम्मतगढ तहसील पिड़ावा,ड्राईवर एम पी 09 एचएफ 8569
05. श्रीमति मोनिका मेड़तवाल पत्नी विजय मेड़तवाल ट्रक मालिक एम पी 09 एचएफ 8569, मैसर्स मेड़तवाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन,इन्दोर (म0प्र0)

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत जप्त शुदा चीनी बोरी 185 मय ट्रक न0 एमपी 09 एच एफ 8569 के निस्तारण हेतु धारा 6 ए के अन्तर्गत प्रा0पत्र ।

उपस्थितः– पेरोकार रसद
श्री राम माहेश्वरी अभिभाषक अप्रार्थी 1
श्री बच्चूलाल अभिभाषक अप्रार्थी 4 व 5

–: निर्णय :– दिनांकः 17.02.2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा में प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रस्तुत करने पर प्रकरण संख्या 05/प्रा0पत्र/10 में बाद सुनवाई दिनांक 10.06.2013 को निर्णय पारित किया जाकर जब्त शुदा 185 क्विंटल चीनी एवं वाहन नम्बर एम.पी. 09 एच.एफ. 8569 को राजसात किया जाकर निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये गये। जिस पर अप्रार्थीगण 1, 4 व 5 द्वारा पृथक–पृथक अपील माननीय न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश(एन.डी.पी.एस.प्रकरण)एंव अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश झालावाड़ के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दाण्डिक अपील सं0 83/2014 व 84/2014 दर्ज की जाकर उक्त दोनों दाण्डिक अपील को एक साथ एक ही निर्णय से दिनांक 08.04.2015 से अपील को स्वीकार किया जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 10.06.2013 को जप्त शुदा ट्रक संख्या एम.पी. 09 एच.एफ.8569 एवं जप्त शुदा 185 बोरी चीनी में से केवल 160 बोरी चीनी को राजसात करने की सीमा तक अपास्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया कि (1) अपीलार्थीगण को धारा 6 B(1)(a) के तहत नये सिरे से लिखित में नोटिस जारी किया जावे तथा उसमें राजसात किये जाने की प्रस्तावित कार्यवाही के आधारों का विनिर्दिष्ठ(specific) स्पष्ट(Clear) उल्लेख किया जावे। (2) अपीलार्थीगण को नोटिस का लिखित जवाब पेश करने का समुचित अवसर प्रदान किया जावे। (3) यदि अपीलार्थीगण प्रस्ताव करें तो,उन्हे अपने पक्ष समर्थन में मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिया जावे। मौखिक साक्ष्य शपथ–पत्र पर भी ली जा सकती है। (4) प्रवर्तन अधिकारी को खण्डन में शपथ–पत्र पेश करने का अवसर दिया जावे। (5) दोनो पक्षों को,एक–दूसरे द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्रों पर, मांग करने पर, जिरह का अवसर दिया जावे। (6) दोनों पक्षों को बहस करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जावे। (7) नये सिरे से अधिनियम की धारा 6–ए के तहत आदेश/निर्णय पारित करते समय,यदि उसमें राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 एंव संशोधित आदेश 2009 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाना पाये तो ऐसे उल्लघंन किये गये प्रावधान विशेष का विनिर्दिष्ठ(specific) स्पष्ट(Clear) उल्लेख किया जावे। (8)

जिला कलक्टर
झालावाड़

यदि ट्रक संख्या एम.पी. 09 एच.एफ. 8569 को राजसात करने का निर्णय लिया जाता है तो ट्रक मालिक को अधिनियम की धारा 6 (1)(a) के परन्तुक के तहत,ट्रक को राजसात किये जाने के बदले, ट्रक से जप्त की गई 185 बोरी चीनी के तत्समय बाजार मूल्य की समतुल्य राशि का जुर्माना अदा करने का विकल्प भी दिया जावे।

प्रकरण माननीय न्यायालय से प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी 2 नोटिस प्राप्ति पश्चात अनुपस्थित तथा अप्रार्थी 3 के नोटिस REFUSED की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुए अप्रार्थी 1 की और से अभिभाषक श्री राम माहेश्वरी व अप्रार्थी 4 व 5 की और से अभिभाषक श्री बच्चूलाल उपस्थित हुए।

प्रकरण में अभिभाषक अप्रार्थी 4 व 5 की और से जवाब प्रा0पत्र प्रस्तुत कर अंकन किया चीनी बांरा ही जा रही थी,बकानी कस्बे में उतारी नही गई थी,अप्रार्थीगण का कानून व राजस्थान व्यापारिक वस्तु(अनुज्ञा पत्र एवं नियंत्रण) आदेश 1980 व संशोधित आदेश 2009 का उल्लघन मानना कतई गलत है। ट्रक ड्राईवर अनपढ है, ट्रक मालिक इस तथ्य के बारे में अनभिज्ञ थी कि ट्रक में शकर भरकर ले जा रही है जो बांरा के लिये है, मालिक की इस कार्यवाही में आपराधिक मानसिकता नही थी न जानबूझकर अपने ज्ञान में होते हुए ऐसा कार्य किया किया है। सारी गतिविधियों के लिये रोड लाईन्स जिम्मेदार है । ड्राईवर इस तथ्य से अनभिज्ञ था कि ट्रक में कितनी बोरी भरी गई है वो तो ट्रांसपोर्टरों के विश्वास में ही काम करता है। नोटिस निरस्त करने का अनुरोध किया गया। अभिभाषक अप्राथी 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनीं गई। अभिभाषक अप्रार्थी 4 व 5 द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 बी का उल्लघंन माना जाकर वाहन जप्त किया गया है किन्तु वाहन मालिक को उक्त उल्लघंन बाबत जानकारी होना आवश्यक है। ट्रक मालिक सिर्फ ट्रांसपोर्टर को वाहन उपलब्ध कराता है उसके बाद ड्राईवर या ट्रांसपोर्टर द्वारा किये गये कृत्य की जानकारी वाहन मालिक को नही होती है। अप्रार्थी के ट्रक द्वारा 160 बोरी चीनी ट्रांसपोर्टर के जरिये इन्दोर से बांरा के लिये पंहुचाई गई थी अप्रार्थी मात्र ट्रक मालिक व ट्रक ड्राईवर हैं । अभिभाषक अप्रार्थी 1 द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि 160 बोरी चीनी मिल से साई ट्रांसपोर्ट की बिल्टी से अन्नपूर्णा रोड लाईन्स इन्दोर में उतरवाई गई व वहां से बांरा के लिये ले जाई जाने पर बकानी में बिल्टी में दर्ज चीनी से ज्यादा चीनी पाई जाने पर जप्त की गई है। उक्त ज्यादा पाई गई 25 बोरी बाबत पूर्व में 3 दुकानदार द्वारा प्रा0पत्र पूर्व में प्रस्तुत किया गया था। अप्रार्थी द्वारा सिर्फ 160 बोरी के लिये क्लेम किया गया है ट्रांसपोर्टर द्वारा स्वंय रूट तय किया जाकर माल पहुंचाया जाता है डीलर की जानकारी में नही होता है कि माल किस रूट से आयेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 बाबत कोई कार्यवाही रसद विभाग द्वारा आज दिनांक तक नही की गई है, 160 बोरी चीनी अप्रार्थी की सुपुर्दगी में दी गई है। प्रा0पत्र खारिज किया जावे। इस पर पेरोकार रसद द्वारा व्यक्त किया कि जप्त 25 बोरी चीनी जो बिल्टी में अंकित सीमा से अधिक थी । चीनी माले गांव मिल से गेट पास दिनांक 28.02.10 को जरिये ट्रक न एम पी 09 एच एफ 5368 से लोड की गई व पुनः इसी ट्रक को साई रोड़ लाईन्स कोपरा गॉव जिला अहमदनगर(महाराष्ट्र) द्वारा दिनांक 17.03.2010 को बिल्टी जारी कर बांरा भेजना बताया। जिस ट्रक न0 एम पी 09 एच एफ 5368 से चीनी दिनांक 28.02.2010 को चीनी मिल से बाहर निकली उसी ट्रक में दिनांक 17. 03.2010 को उसी मात्रा में चीनी लगभग 17 दिन बाद बिल्टी जारी कर मिलना सन्देहास्पद है। जिस चीनी को मालेगांव से इन्दोर (315 कि0मी0लगभग) 17.03.2010 को चलकर 19.03.2010 को 02 दिन में पंहुच जाती है उसी चीनी को इन्दोर से बांरा पहुंच(310 कि0मी0 लगभग) 19.03.2010 को चलकर 21.03.2010 को पंहुच जाना चाहिये था किन्तु उक्त चीनी बांरा के स्थान पर बकानी(इन्दोर से बकानी की दूरी 200 कि0मी0 लगभग) का बिल्टी में दर्शित स्थल से भिन्न स्थल जिसका बिल्टी में कंही भी अंकन नही है जिसकी दूरी लगभग 200 कि0मी0 है दिनांक 22.03.2010 को यानी की 3 दिन पश्चात अन्यत्र स्थल पर बिल्टी में अंकित स्थल व बिल्टी में अंकित चीनी की मात्रा का सीमा से अधिक होना व अन्य मार्का की चीनी सहित मिलना (वक्त जब्ती 25 अतिरिक्त बोरी बाबत कोई रेकार्ड प्रस्तुत नही किया गया। 160 बोरी चीनी मालेगांव मार्का की व 25 बोरी

जिला कलक्टर
झालावाड़

अहमद नगर मार्का की हैं) सन्देह उत्पन्न करता है । ट्रक ड्राईवर के बयान अनुसार उसको ही नही पता की चीनी कंहा जानी है। प्रा0पत्र में पूर्व में की गई कार्यवाही यथावत रखी जावे।

हमनें पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। प्रकरण का मुख्य विवाद बिन्दु यह है कि जिस वस्तु की बिल्टी कंही की हो उस वस्तु को अन्यत्र परिवहन कर ले जाया जाना कितना उचित है व जिस वस्तु का चीनी मिल से गेट पास दिनांक 28.02.10 को वाहन संख्या एम पी 09 एच एफ 8569 के लिये जारी किया गया उसी वाहन की बिल्टी दिनांक 17.03.2010 को लगभग 17 दिन बाद बांरा के लिये क्यों कर जारी की गई? विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी न0 1 का कथन कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत कार्यवाही नही की गई है तथा इस कारण से वर्तमान प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(1) के तहत जब्ती की कार्यवाही करना न्यायोचित नही है। इस संबंध में यूनिक ट्रेडर्स,जयपुर द्वारा प्रकाशित आवश्यक वस्तु अधिनियम, संस्करण 2016 के पृष्ठ 71 पर अंकित न्यायिक दृष्टान्त M/s Pankaj Dal mills vs State of U.P-1985 EFR 101 के अनुसार खण्ड 6 क व 7 समानान्तर कार्यवाही–समवर्ती अधिकारिता– साररूप (para materia) धारा 6क व 7 के अन्तर्गत कार्यवाही स्वतंत्र है एक दूसरे से अलग है और एक साथ की जा सकती है। न्यायालय जो कि धारा 7 में प्रगणित दण्ड के लिये अधिनिर्णय के लिये सशक्त है, आवश्यक वस्तु के अधिहरण के सम्बन्ध में कार्यवाही से स्वतन्त्र और भिन्न है। राज्य पर यह अवलम्ब नही है कि वह धारा 3 के तहत किये गये किसी भी आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध अभियोजन प्रारम्भ करे क्योंकि धारा 6क की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलक्टर ने आवश्यक वस्तु के अधिहरण के आदेश पारित कर दिये,जिसके सम्बन्ध में एक अपराधिक अभियोजन प्रारम्भ किया जावे। इसी तरह अपराधिक कार्यवाही किसी सक्षम अपराधिक अदालत के समक्ष शुरू की जा सकती है और यंहा तक कि धारा 6क के तहत अधिहरण की कार्यवाही के बिना दण्ड का अधिनिर्णय किया जा सकता है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण 4 व 5 का कथन की आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 बी का उल्लघंन माना जाकर वाहन जप्त किया गया है किन्तु वाहन मालिक को उक्त उल्लघंन बाबत जानकारी होना आवश्यक है। ट्रक मालिक सिर्फ ट्रांसपोर्टर को वाहन उपलब्ध कराता है उसके बाद ड्राईवर या ट्रांसपोर्टर द्वारा किये गये कृत्य की जानकारी वाहन मालिक को नही होती है। अप्रार्थी के ट्रक द्वारा 160 बोरी चीनी ट्रांसपोर्टर के जरिये इन्दोर से बांरा के लिये पंहुचाई गई थी अप्रार्थी मात्र ट्रक मालिक व ट्रक ड्राईवर हैं, ट्रक के अन्यत्र मार्ग से ले जाये जाने बाबत ट्रक मालिक को जानकारी नही दी गई है। इस संबन्ध में यंहा यह स्पष्ट है कि चीनी माले गांव मिल से गेट पास दिनांक दिनांक 28.02.10 को जरिये ट्रक न एम पी 09 एच एफ 5368 से लोड की गई व पुनः इसी ट्रक को साई रोड़ लाईन्स कोपरा गॉव जिला अहमदनगर(महाराष्ट्र) द्वारा दिनांक 17.03.2010 को बिल्टी जारी कर बांरा भेजना बताया। जिस ट्रक न0 एम पी 09 एच एफ 5368 से चीनी दिनांक 28.02.2010 को चीनी मिल से बाहर निकली उसी ट्रक में दिनांक 17.03.2010 को उसी मात्रा में चीनी लगभग 17 दिन बाद बिल्टी जारी कर मिलना अपने आप में सन्देहास्पद है। जो चीनी मालेगांव से इन्दोर (315 कि0मी0लगभग) 17.03.2010 को चलकर 19.03.2010 को 02 दिन में पंहुच जाती है उसी चीनी को इन्दोर से बांरा पहुंच(310 कि0मी0 लगभग) 19.03.2010 को चलकर 21.03.2010 को पंहुच जाना चाहिये था किन्तु उक्त चीनी बांरा के स्थान पर बकानी(इन्दोर से बकानी की दूरी 200 कि0मी0 लगभग) का बिल्टी में दर्शित स्थल से भिन्न स्थल जिसका बिल्टी में कंही भी अंकन नही है जिसकी दूरी लगभग 200 कि0मी0 है दिनांक 22.03.2010 को यानी की 3 दिन पश्चात अन्यत्र स्थल पर बिल्टी में अंकित स्थल व बिल्टी में अंकित चीनी की मात्रा का सीमा से अधिक होना व अन्य मार्का की चीनी सहित मिलना (वक्त जब्ती 25 अतिरिक्त बोरी बाबत कोई रेकार्ड प्रस्तुत नही किया जाना, 160 बोरी चीनी मालेगांव मार्का की व 25 बोरी अहमद नगर मार्का की मिलनां) इसी तरह जो चीनी साई रोड लाईन्स कोपरा गांव महाराष्ट्र के सूचना पत्र क्रमांक 4509 दिनांक 17.03.

जिला कलक्टर
झालावाड़

2010 से इन्दोर 19.03.2010 को मॉ अन्नपूर्णा ट्रांसपोर्ट पर पंहुचकर कासिंग होकर इन्दोर से उक्त ट्रक एम पी 09 एच एफ 8569 के जरिये भेजी जानी थी दौराने जांच चीनी मै0 मेडतवाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इन्दौर के उक्त ट्रक में पाई गई जो सन्देहास्पद होने से पेरोकार रसद की बात को बल मिलता है। यंहा लिखा जाना उचित है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो चीनी माले गांव मिल से गेट पास दिनांक 28.02.10 को जरिये ट्रक न एम पी 09 एच एफ 5368 से लोड की गई वह चीनी 22 दिन तक गन्तव्य स्थल बांरा में नही पंहुचने पर भी उनके द्वारा कोई कार्यवाही क्यों नही की गई भी प्रकरण में सन्देह उत्पन्न करता है साथ ही चीनी कासिंग होकर अन्य ट्रांसपोर्टर के ट्रक में लोड करवाया जाना भी अपने आप में सन्देहहास्पद ही है। ऐसी सूरत में अप्रार्थीगण 1, 4 व 5 की प्रकरण में संलिप्तता जाहिर है जिसे सरंक्षण दिया जाना उचित नही है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में प्रकरण संख्या 05/प्रा0पत्र/10 में पारित निर्णय दिनांक 10.06.2013 को यथावत रखा जाता है । माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश (एन डी पी एस प्रकरण) एवं अपर सैशन न्यायाधीश, झालावाड़ द्वारा अपने निर्णय के पेरा न0 8 " यदि ट्रक संख्या एम.पी.09 एच.एफ. 8569 को राजसात करने का निर्णय लिया जाता है तो ट्रक मालिक को अधिनियम की धारा 6–ए(1) के द्वितीय परन्तुक के तहत, ट्रक को राजसात किये जाने के बदले, ट्रक से जप्त की गयी 185 बोरी चीनी के तत्समय बाजार मूल्य की समतुल्य राशि का जुर्माना अदा करने का विकल्प भी दिया जावे" के दृष्टिगत ट्रक को राजसात किये जाने के बदले यदि वाहन मालिक जब्ती की कार्यवाही के दौरान वाहन से जब्त की गई 185 बोरी चीनी के तत्समय बाजार मूल्य के समतुल्य राशि जमा करवादे तो जब्त वाहन को प्रकरण से मुक्त किये जाने का विकल्प दिया जाता है अन्यथा पूर्व निर्णय यथावत रहेगा।

इस प्रकरण के माध्यम से यंहा उल्लेख किया जाना उचित होगा कि यदि अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत किया जाना पाया जावे तो सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत भी कार्यवाही किया जाना चाहिये और यदि कार्यवाही नही की जाती है तो पत्रावली पर कारण स्पष्ट किये जाने चाहिए। अतः प्रकरण में जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को निर्देशित किया जाता है कि वह अपराध की गंभीरता को मध्य नजर रखते हुए एक्ट के प्रावधानों के तहत नियमो के परिपेक्ष्य में विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार कार्यवाही सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ जिला रसद अधिकारी,झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः 17.02.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़